

1. मॉड्यूल और इसकी संरचना

मॉड्यूल विस्तार	
विषय का नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	अर्थशास्त्र 01 (कक्षा- 11 सेमेस्टर-1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	रोजगार की संवृद्धि तथा भारत में श्रम शक्ति पार्ट-1
मॉड्यूल आईडी	keec_10701
पूर्व-अपेक्षित	इस मॉड्यूल के अध्ययन से पूर्व विद्यार्थी को बेरोजगारी, आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियों के अर्थ की आधारभूत समझ होनी चाहिए।
उद्देश्य	इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात , शिक्षार्थी निम्न को समझने के योग्य होगा <ul style="list-style-type: none">● आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियों का अर्थ● श्रम की पूर्ति, श्रम शक्ति, श्रम शक्ति सहभागिता दर● रोजगार में लोगों की सहभागिता● भारत में स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार● विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार● श्रम शक्ति का अनौपचारिककरण
मुख्य शब्द	श्रम की पूर्ति, श्रम शक्ति, स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, आकस्मिकीकरण

2. विकास दल

भूमिका	नाम	सम्बद्धता
राष्ट्रीय MOOC समन्वयक (NMC)	प्रो. अमरेंद्र पी बेहरा	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
कार्यक्रम के समन्वयक	डॉ. मो. मामूर अली	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम समन्वयक (सीसी) / पीआई	प्रो नीरजा रश्मि	डीईएसएस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
विषय वस्तु विशेषज्ञ	सुश्री आरती गोयल	डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल दिल्ली
समीक्षा दल	डॉ. हिमांशु सिंह डॉ. भारत भूषण	सत्यवती कॉलेज (सायं), दिल्ली विश्वविद्यालय श्याम लाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
अनुवादक	डॉ. राजेश कुमार जांगिड	राजकीय महाविद्यालय, रेलमगर, (राजस्थान)

पाठ्यसामग्री तालिका :

1. परिचय
2. श्रम शक्ति तथा रोजगार
3. आधारभूत शब्दावली
4. श्रमिकों के प्रकार
5. विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार
6. श्रम शक्ति के आकस्मिकीकरण के कारण
7. सारांश

1. परिचय

लोग अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों तथा अन्य कार्य स्थलों पर काम करते हैं; किंतु कुछ अन्य घर पर काम करते हैं। घर पर कार्य में केवल परंपरागत कार्य जैसे बुनाई, फीते बनाना, और हस्तकला ही शामिल नहीं होते अपितु, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रोग्रामिंग जैसे आधुनिक कार्य भी इसमें शामिल होते हैं।

कार्य हमारे जीवन में एक व्यक्ति के रूप में तथा समाज के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। लोग आजीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को, उत्तराधिकार में धन मिल जाता है, इस प्रकार के लोग आजीविका के लिए कार्य नहीं करते। यह किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। कार्य में नियोजित होना हमें सार्थकता का भाव प्रदान करता है तथा दूसरों के साथ अपने को अर्थपूर्ण संबंधों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। कार्य में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अपना सक्रिय योगदान देता है तथा इस प्रकार, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हुए देश के विकास में योगदान देता है।

हम केवल अपने लिए कार्य नहीं करते; जब हम काम करते हैं तथा इसके द्वारा जो हम पर निर्भर हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो, हममें उपलब्धि का एक भाव आता है। कार्य के महत्व को समझते हुए, महात्मा गांधी ने शिक्षा तथा अनेक प्रकार के कार्यों (शिल्पकला सहित) के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया। कार्यशील लोगों के बारे में अध्ययन, हमें देश में रोजगार की गुणवत्ता तथा प्रकृति के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है तथा मानव संसाधन के नियोजन की समझ पैदा करने में सहायता करती है। यह राष्ट्रीय आय में विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के योगदान का भी विश्लेषण करने में सहायता करती है। यह अनेकों सामाजिक विषयों यथा, समाज में सीमांत वर्गों के शोषण, बाल श्रम आदि को हल करने में भी मदद करती है।

2. श्रम शक्ति तथा रोजगार

जो गतिविधियां सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करती हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। जो जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होती है उन्हें श्रमिक कहा जाता है। चाहे बीमारी या किसी अन्य कारण से अल्प समय वे कार्य से दूर रहे तो भी वे श्रमिक ही हैं। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वे सभी जिन्हें उनके कार्य के बदले नियोजक द्वारा भुगतान किया जाता है श्रमिक होते हैं। लेकिन, जो स्वनियोजित हैं वे भी श्रमिक हैं। आइए श्रम की आपूर्ति की अवधारणा को समझते हैं। श्रम की आपूर्ति को मानव श्रम दिवस (एक दिवस 8 घंटे का होता है¹) में मापा जाता है। इसका मजदूरी दर से संबंध होता है। श्रमिकों की संख्या स्थिर रहने पर भी श्रम की आपूर्ति बढ़ सकती है अथवा घट सकती है क्योंकि इसे कार्यशील मानव दिवसों के संदर्भ में मापा जाता है।

श्रम उत्पादन का प्राथमिक साधन है। श्रम उत्पादक है केवल इसलिए ही इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह अन्य साधनों को भी सक्रिय करता है तथा उन्हें उत्पादन उद्देश्य के लिए उपयोगी बनाता है। इस प्रकार, किसी भी देश में श्रम शक्ति का आकार आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी देश में श्रम शक्ति का आकार 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की संख्या पर निर्भर करता है क्योंकि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा 59 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति उत्पादक गतिविधियों में सहभागिता नहीं करते। जो व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को उत्पादक गतिविधियों से दूर रखते हैं उन्हें श्रम शक्ति में शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार श्रम शक्ति का आकार आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या पर निर्भर करता है चाहे वह बेरोजगार ही क्यों नहीं हो। भारत में 40.1 प्रतिशत जनसंख्या ही श्रम शक्ति का निर्माण करती है (जनगणना, 2011)।

श्रम शक्ति में बढ़ती रोजगार अवसर सृजन करने के लिए दबाव पैदा करती है। भारत में श्रमिकों का कुल जनसंख्या से अनुपात विकसित देशों की तुलना में कम है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक-जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के सभी व्यक्ति श्रम में सहभागिता करते हैं। इसके अनेक कारण विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास अधिक आय अर्जन के सीमित साधन होते हैं तथा इस प्रकार, वे रोजगार बाजार में अधिक सहभागिता करते हैं। इनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो विद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में नहीं जाते हैं। यदि इनमें से कुछ जाते भी हैं तो श्रम शक्ति में शामिल होने के कारण बीच में ही इसे छोड़ देते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए जाता है। शहरी लोगों के पास रोजगार के अनेक प्रकार के अवसर होते हैं। वे अपनी योग्यता तथा कौशल के अनुरूप उपयुक्त कार्य की तलाश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग घर पर नहीं रुक सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोकती है। महिला श्रमिक सहभागिता दर पुरुष श्रमिक सहभागिता दर से काफी नीचे है। राज्यों के बीच श्रमिक सहभागिता दर में महत्वपूर्ण अंतर-राज्य विचरण है।

3. मूलभूत शब्दावली

(i) **श्रम शक्ति सहभागिता दर (LFPR)** : यह प्रति 1000 व्यक्तियों में से श्रम शक्ति में शामिल व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित है। इसमें रोजगार में लगे तथा बेरोजगार जो रोजगार खोजने में सक्रिय हैं, दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं।

(ii) **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)**: यह प्रति 1000 व्यक्तियों में से रोजगार शुदा व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित है।

(iii) **बेरोजगार अनुपात (PR)** : यह प्रति 1000 व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित है।

(iv) **बेरोजगारी दर (UR)**: यह श्रम शक्ति (रोजगार युक्त तथा बेरोजगार) में शामिल प्रति 1000 व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित है।

एक ऐसे देश में जहां अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा अनेक तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, किसी एक दृष्टिकोण से श्रम शक्ति तथा इसके व्युत्पन्नों का अनुमान एक कठिन कार्य है। इन स्थितियों में श्रम शक्ति के प्राचलों के सही अनुमान के लिए कोई एक मात्र मापन उपयुक्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, श्रम शक्ति से संबंधित प्राचलों का अनुमान दोनों तरीकों (दीर्घ संदर्भित अवधि तथा चालू या अल्प संदर्भित अवधियां) से निकाला जाता है।

4. श्रमिकों के प्रकार


(i) **स्वनियोजित**: जब श्रमिक अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उपक्रम पर स्वामित्व रखते हैं तथा उसे चलाते हैं तो उसे स्वनियोजित कहा जाता है। भारत में इस श्रेणी की श्रम शक्ति 52 प्रतिशत है। एक व्यक्ति जो एक सीमेंट की दुकान का मालिक है तथा उसे संचालित करता है, स्वरोजगार का उदाहरण है।

(ii) **भाड़े पर श्रमिक** : भाड़े पर श्रमिक की परिभाषा के अनुसार, एक श्रमिक को भाड़े पर श्रमिक के रूप में नियोजित माना जाएगा जब उसे किसी प्रतिष्ठान के कार्य के लिए ठेकेदार के माध्यम से भाड़े पर लिया जाता है। भाड़े पर श्रमिक अप्रत्यक्ष कर्मचारी होते हैं; इन व्यक्तियों को ठेकेदार, जिन्हें प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान किया जाता है, के द्वारा भाड़े पर लिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है तथा भुगतान किया जाता है। श्रमिकों की उपरोक्त वर्णित श्रेणी के अतिरिक्त, भाड़े पर श्रमिक परिभाषा में वे श्रमिक भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य प्रतिष्ठान द्वारा लिखित या मौखिक संविदा समझौते के द्वारा शासित होता है। अधिक स्पष्ट रूप में, उन श्रमिकों को भाड़े पर श्रमिक कहा जाता है जो, प्रतिष्ठानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट कार्य के लिए तथा किसी विशिष्ट अवधि के लिए भाड़े पर लिए जाते हैं।

(iii) **आकस्मिक मजदूरी श्रम**: एक व्यक्ति जो दूसरे के खेतों अथवा गैर खेत उपक्रमों (पारिवारिक तथा गैर पारिवारिक) में आकस्मिक रूप से नियोजित होते हैं तथा इसके बदले दैनिक या आवधिक कार्य संविदा की शर्तों के अनुरूप मजदूरी प्राप्त करते हैं, आकस्मिक मजदूरी श्रम कहलाते हैं। निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक आकस्मिक श्रमिक का उदाहरण है। भारत की श्रम शक्ति में आकस्मिक श्रमिकों का हिस्सा 30 प्रतिशत है।


(iv) **भाड़े पर श्रमिक के अतिरिक्त नियमित वेतनभोगी कर्मचारी**: जब एक श्रमिक को किसी अन्य के द्वारा अथवा किसी उपक्रम में कार्य दिया जाता है वह उसे नियमित आधार पर मजदूरी दी जाती है, इन्हें नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। किसी निर्माण कंपनी में कार्यरत सिविल इंजीनियर वेतनभोगी कर्मचारी का उदाहरण है।

Chart-1.1



Source: IED, Class XI, NCERT

Chart 1.2



Source: IED, Class XI, NCERT

आरेख 1.2

चार्ट 1.1 तथा 1.2 को देखिए । जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के मध्य लेबर ब्यूरो द्वारा आयोजित चतुर्थ वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, ने दर्शाया कि सभी व्यक्तियों के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर 52 प्रतिशत है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति सहभागिता दर 54.7 प्रतिशत है जो शहरी क्षेत्र के 45.2 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। महिला तथा पुरुष दोनों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत स्वरोजगार है क्योंकि यह श्रेणी श्रम शक्ति के 50 प्रतिशत भाग को बनाती है। महिला तथा पुरुष दोनों के लिए आकस्मिक मजदूरी रोजगार दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, बाद वाले (31 प्रतिशत) से थोड़ा सा अधिक। भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत स्वरोजगार है जो श्रम शक्ति के 46.6 प्रतिशत के लिए उत्तरदाई है। आकस्मिक मजदूरी रोजगार दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, 32.8 प्रतिशत के साथ। नियमित मजदूरी रोजगार श्रेणी में 17 प्रतिशत है तथा इसका स्थान आखिर में आता है। यह रोजगार का लिंग तथा क्षेत्र के अनुसार वितरण को दर्शाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुरुष अधिक अनुपात में कार्यरत हैं। इसका एक कारण कौशल की आवश्यकता हो सकता है। क्योंकि नियमित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में कौशल तथा साक्षरता के अधिक ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है, इसी कारण महिलाएं अधिक सीमा तक इसमें नहीं आ पाईं।

जब हम चार्ट में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में श्रम शक्ति के वितरण की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार तथा आकस्मिक मजदूरी श्रमिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में, स्वरोजगार तथा नियमित मजदूरी रोजगार दोनों अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकांश अपने जमीन के छोटे टुकड़े में खेती पर आश्रित हैं और अपनी खेती स्वतंत्र रूप से करते हैं इसलिए स्वरोजगार का अंश अधिक है। शहरी क्षेत्र में कार्य की प्रकृति अलग है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री, दुकान और ऑफिस नहीं चला सकता। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र में उपक्रमों में नियमित आधार पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

5. विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार

अर्थशास्त्री सामान्यतः अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा संबंधित गतिविधियां आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण तथा विनिर्माण की गतिविधियां आती हैं तथा तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार शामिल होते हैं।

पिछले चार दशकों के दौरान, श्रम शक्ति का स्वनियोजित तथा नियमित मजदूरी रोजगार से आकस्मिक मजदूरी रोजगार की तरफ महत्वपूर्ण विवर्तन हुआ है। विद्वान श्रम की इस स्वरोजगार तथा नियमित मजदूरी रोजगार से आकस्मिक मजदूरी रोजगार की तरफ गति की प्रक्रिया को श्रम शक्ति का आकास्मिकीकरण का नाम देते हैं। नीचे तालिका में 1972 से 2015 के मध्य रोजगार की श्रेणियों के अनुसार श्रमिकों का विभाजन दिया हुआ है।

तालिका 1: रोजगार के अनुसार श्रम शक्ति का वितरण 1972 से 2015 तक (प्रतिशत में)

वर्ष	स्वरोजगार	आकस्मिक मजदूरी श्रमिक	आकस्मिक मजदूरी नियमित वेतन कर्मचारी
1972-73	61.4	23.2	156.4
1983	57.3	28.9	13.8
1993-94	54.6	31.8	13.6
1999-2000	52.6	32.8	14.6
2009-10	51.0	33.5	15.6
2013-14	49.5	30.9	
2014-15	46.6	32.8	20.7

तालिका-1 रोजगार के अनुसार श्रमिकों के वितरण को दर्शाती है। यद्यपि, स्वरोजगार अभी भी प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, इसका हिस्सा 1972-73 में 61.4 प्रतिशत था जो 2014-15 में गिर कर 46.5 प्रतिशत तक कम हो गया। नियमित मजदूरी रोजगार: कुल रोजगार में नियमित मजदूरी कर्मचारियों का हिस्सा 15 प्रतिशत पर स्थिर है। 1972-73 में 15.4 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 20.7 प्रतिशत तक की इसमें सीमांत वृद्धि देखी जा सकती है। रोजगार में आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात 1972-73 में 23.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 32.8 प्रतिशत हो गया।

6. श्रम शक्ति के आकस्मिकीकरण के कारण

देश में श्रम शक्ति के आकस्मिकीकरण के लिए निम्न कारण उत्तरदाई माने जाते हैं:

- I. कृषि जोतों के उप विभाजन तथा कृषि गतिविधियों में आय अर्जन की घटती संभावनाओं के कारण लघु तथा सीमांत कृषकों (स्वनियोजित) का स्तर आकस्मिक श्रम शक्ति में बदल गया।
- II. शहरी क्षेत्र में बड़े उद्योगों से नियमित श्रमिकों का आकस्मिक श्रमिकों के रूप में विस्थापन होना।
- III. संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की नीची दर
- IV. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती निर्माण, व्यापार तथा सेवा गतिविधियों के लिए आकस्मिक श्रम की बढ़ती मांग ने श्रम शक्ति का आकस्मिकीकरण कर दिया है।

7. सारांश

वे सभी व्यक्ति जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करते हैं श्रमिक कहलाते हैं। देश की कुल जनसंख्या का 2/5 भाग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। पुरुष, विशेषकर ग्रामीण पुरुष, भारत में श्रम शक्ति का मुख्य घटक है। भारत में ज्यादातर श्रमिक स्वनियोजित हैं। आकस्मिक मजदूरी श्रमिक तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी दोनों मिलकर देश की कुल श्रमशक्ति के आधे हिस्से से भी कम के समान है। भारत में तीन चौथाई श्रम शक्ति आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। हाल के वर्षों में, रोजगार की वृद्धि घट गई है। जीडीपी में उच्च वृद्धि दर के बावजूद रोजगार वृद्धि की धीमी गति की प्रवृत्ति को 'रोजगार विहीन' संवृद्धि कहा जाता है।